रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254844
CG-DL-E-21062024-254844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बुधवार,जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946
No. 423] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2023

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश

फ़ा. सं. 42001/01/2023/एनसीवीईटी—1. परिचय

1.1. पृष्ठभूमि और आवश्यकता

आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) अत्याधुनिक, नई और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती हैं और उन पर काम करती हैं जिनके लिए ऑपरेटर्स, तकनीशियनों, एक्जीक्यूटिव्ज, इंजीनियर्स, विशेषज्ञों, और अन्य पेशेवरों सहित सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता के कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरत होती है। ये कंपनियाँ स्थानीय और वैश्विक जरूरतों को पूरा करके देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। तेजी से आगे बढ़ती और वैश्वीकृत होती विश्व की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के कारण कौशल की माँग और बढ़ गई है। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसलिए जॉब मार्केट में प्रासंगिक तथा अपडेट रहने के लिए सीखने वालों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल को निरंतर अपग्रेड करने की जरूरत होती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने, उन्हें कौशल तथा प्रशिक्षण देने के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण ये कंपनियाँ अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जानकारी और अभिनव सोच दे पाती हैं। इससे शिक्षार्थियों को अन्य कंपनियों के पास उपलब्ध समान उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की मूलभूत

जानकारी भी प्राप्त होती है। इनमें से अधिकतर कंपनियाँ अपने कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की जानकारी रखने वाले कार्मिकों का एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पूल तैयार कर लेती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने स्वयं के आंतरिक परिनियोजन के लिए और अपने ग्राहकों के लिए कार्मिकों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण तथा कौशलीकरण पाठ्यक्रम उद्योग में प्रतिष्ठित होते हैं और सही मायनों में वैश्विक जॉब मार्केट्स की जरूरतों के अनुरूप होते हैं। इसलिए ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों और शिक्षार्थियों की जानकारी को उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं जिससे वे भारतीय और वैश्विक बाज़ार के लिए रोजगार योग्य बनते हैं और जॉब के लिए तैयार होते हैं। इस संदर्भ में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रयासों में अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे भारत में कुशल कार्मिकों का एक विश्वस्तरीय पूल विकसित हो सकेगा। इसलिए छात्रों, शिक्षार्थियों, और शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग और व्यापक रूप से राष्ट्रीय कौशलीकरण तंत्र के हित में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अंतर्गत क्रेडिटाइजेशन सहित उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता दे कर उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण और कौशलीकरण तंत्र के साथ संबद्ध करना जरूरी है।

इस प्रकार कौशलीकरण तंत्र में अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहभागिता आवश्यक है क्योंकि वे कुशल कार्मिकों के रूप में उत्पादों और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता होते हैं। ये कंपनियाँ कौशल आवश्यकताओं का निर्धारण करने, भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान करने, और तदनुसार प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने और अर्हताएँ/जॉब भूमिकाएँ विकसित करने, छात्रों/शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करते हुए मौजूदा जरूरतों के लिए कुशल बनाने में सक्षम हैं। इस प्रकार इन कंपनियों को भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशलीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने और इनकी अगुवाई करने की जरूरत है।

1.2 शिक्षा और कौशलीकरण में नीतिगत प्रयास

सरकार के **कौशल भारत मिशन** का उद्देश्य रोजगार सृजन के लिए उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल और कार्मिकों के कौशल के बीच अंतर को समाप्त करना है जिससे भारतीय व्यवसायों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015** का एक प्रमुख उद्देश्य *'उद्योग की सेक्टरवार जरूरतों और 'मेक इन इंडिया' जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ कुशल कार्मिकों की आपूर्ति को संरेखित करके मानव संसाधन की जरूरतों का समाधान करना है।'* इस नीति का उद्देश्य उद्योग सहभागिता को बढ़ाना और बाजार-आधारित प्रशिक्षण मानकों और पाठ्यक्रम विकसित करना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में छात्रों और शिक्षार्थियों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी सुनिश्चित करते हुए सामान्य (अकैडमिक) और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाओं का प्रावधान किया गया है जिनके माध्यम से अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन किए जा सकेंगे और इसमें विभिन्न प्रवेश तथा निकास विकल्प होंगे, और इस प्रकार सख्त सीमाएं हटाई जाएंगी और जीवनपर्यंत अधिगम के लिए नई संभावनाएँ बनेंगी।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में व्यापक, बहुविषयक, समग्र शिक्षा, और सभी प्रकार के अधिगम के क्रेडिटाइजेशन का प्रावधान किया गया है, जिससे अकैडमिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, काम के साथ प्रशिक्षण और कार्य अनुभव सहित अनुभव के साथ अधिगम के लिए क्रेडिट्स का एकीकरण किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में कल्पनाशील और आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम संरचनाओं, असाइनमेंट, आकलन के शर्ताधीन ऑनलाइन, डिजिटल और मिश्रित अधिगम सहित क्रेडिट्स एकत्रित करने, संग्रहित करने, हस्तांतरित करने और रिडीम करने का भी प्रावधान है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समानता स्थापित की गई है, विभिन्न प्रवेश और विभिन्न निकास (एमई-एमई) विकल्पों का प्रावधान किया गया है, जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से इसका प्रचालन सुनिश्चित होता है। इसमें औपचारिक शिक्षा और कौशलीकरण तंत्र के बाहर के शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपस्किलिंग के साथ या इसके बिना पूर्व-शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) का और इसके लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट स्तरों और क्रेडिट असाइनमेंट का भी प्रावधान है।

इस प्रकार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क विभिन्न प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ जीवनपर्यंत अधिगम को प्रोत्साहन देता है जिसमें शिक्षार्थी न केवल आसानी से काम और सीखने के बीच स्विच कर सकता है, बल्कि सीखने के साथ-साथ काम भी कर सकता है।

1.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को टीवीईटी क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानदंड स्थापित करते हुए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) को सम्मिलित करते हुए 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के माध्यम से एक व्यापक विनियामक के तौर पर अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देने और उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए, और अधिसूचना में उल्लिखित अन्य आकस्मिक कार्य करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणवत्ता में सुधार और विनियमन का कार्य सौंपा गया है। एनसीवीईटी की स्थापना से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशल तंत्र में अलग-अलग भागों में बंटे विनियामक फ्रेमवर्क को समेकित भी किया गया है।

एनसीवीईटी के प्रमुख कार्य अवार्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए) को मान्यता देना, इनका विनियमन और निगरानी, एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुसार अर्हताओं का अनुमोदन और मान्यताप्राप्त इकाइयों की निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना है।

1.4 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) सभी अर्हताओं के लिए एक एकल एकीकृत फ्रेमवर्क के रूप में मंत्रिमंडल की अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 2013 में लाया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा तथा क्षमता आधारित फ्रेमवर्क है जो व्यक्तियों को वांछित सक्षमता स्तर प्राप्त करने, जॉब मार्केट में पारगमन करने और सही समय पर उनकी क्षमताओं को और अपग्रेड करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस लौटने में समर्थ बनाता है।

एनएसक्यूएफ को अब एनसीवीईटी के साथ संबद्ध किया गया है और यह प्रचालन में है और अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विनियामकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), केंद्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), चुनिन्दा राज्य कौशल विकास मिशनों, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) सहित अवार्डिंग निकायों, सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) और चुनिन्दा उद्योग निकायों के प्रतिनिधित्व वाली राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा एनसीवीईटी को 'अर्हता पैकेजेज़ के अनुमोदन के लिए, और दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से अर्हता पैकेजेज़ अनुमोदित करने के लिए' दिशानिर्देश बनाने में सक्षम बनाते हुए दिनांक 5 दिसंबर 2018 की अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के पैरा 16(एफ) के प्रावधानों और बाद में सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को अनुमोदित करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 10 अप्रैल, 2013 को इसकी अधिसूचना जारी करने और दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस संख्या एफ.सं. 2-3/2022 (क्यूआईपी) के आधार पर दिनांक 13 दिसंबर 2013 की पूर्व की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 6 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 22001/01/2023/एनसीवीईटी के माध्यम से युक्तिसंगत और संशोधित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को अधिसूचित किया गया है।

चूंकि एनएसक्यूएफ परिणाम-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए एनएसक्यूएफ की सफलता के लिए उद्योग और नियोक्ताओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। एनएसक्यूएफ के मानकों का प्रयोग करके जॉब मार्केट के अनुसार जॉब भूमिकाओं की पहचान की जा सकती है और उद्योग के साथ परामर्श और सहमति से उद्योग मानकों के अनुसार अर्हताएँ डिज़ाइन की जा सकती हैं।

स्तर वर्णनकर्ताओं के साथ विस्तृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अधिसूचना https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/National-Skills-Qualification-Framework-notification-June-2023.pdf पर उपलब्ध है।

2. दिशानिर्देशों के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

2.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को लागू किए जाने के साथ व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के विभिन्न आयामों के लिए मार्ग खुल गए हैं। विभिन्न अन्य लाभों के साथ समान उद्देश्य प्राप्त करने में क्रेडिट्स एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। हालांकि किसी कौशल अर्हता को क्रेडिटाइज़ करने में समर्थ होने के लिए एनएसक्यूएफ़ संरेखण, अनुमोदन और आकलन के माध्यम से इसे मान्यता दिलवाना और औपचारिक रूप में लाना आवश्यक है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की अर्हताओं (ओईएम सहित) को मान्यता देने और औपचारिक रूप में लाने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप का उद्देश्य उनके द्वारा दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देना, औपचारिक रूप देना और क्रेडिटाइज़ करना है। ये कंपनियाँ 'फ्यूचर ऑफ वर्क' में पथ-प्रदर्शक भी हैं और प्रशिक्षण/कौशलीकरण उनके प्रचालनों का प्रमुख व्यवसाय नहीं है, बल्कि उनके पास उनके उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं पर कौशलीकरण है।

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ओईएम, ओडीएम, और वीएआर सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के कई कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री/संसाधन नि:शुल्क भी उपलब्ध हैं। ऐसी कंपनियाँ प्रमाण-पत्र जारी करती हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर मान्यता होती है, जॉब मार्केट और उद्योग में प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता होती है, जो छात्रों और शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए ये दिशानिर्देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त और मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भारत के औपचारिक कौशल तंत्र के साथ संबद्ध होने और उन्हें क्रेडिटाइजेशन के लिए मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

ये दिशानिर्देश शिक्षार्थियों को कौशलीकरण से शिक्षा की ओर और वापस शिक्षा से कौशलीकरण की ओर जाने के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि एनईपी और एनसीआरएफ की सहायता से सभी प्रकार के अधिगम को मान्यता दी जा सकती है और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विषयों में जाने के लिए अर्जित क्रेडिट्स का उपयोग किया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट्स अद्वितीय रूप से एपीएएआर (ऑटोमेटेड पर्मानेंट अकैडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी में पंजीकृत किए जाएंगे और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में संग्रहित किए जाएंगे। इससे न केवल अधिगम को मान्यता मिलेगी और क्रेडिट्स संग्रहित किए जाएंगे बल्कि मोबिलिटी, रिडीम करवाने और ऐसे क्रेडिट्स के उपयोग के माध्यम से बहुविषयक और जीवनपर्यंत अधिगम के विकल्प भी मिलेंगे।

इससे विश्वस्तरीय कार्यबल का एक पूल भी बनाया जा सकेगा जो कुशल होगा और मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता और अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त कौशल प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में प्रमाणित होगा। गिग इकॉनमी और 'फ्यूचर ऑफ वर्क' की दुनिया में, भविष्य के कौशल के साथ तैयार कार्यबल का ऐसा पूल निश्चित रूप से भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने में सहायक होगा।

2.2 कार्यक्षेत्र

ये दिशानिर्देश इन दिशानिर्देशों के भाग 3 में परिभाषित सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

3.1 बहुराष्ट्रीय कंपनी

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय (आईबी) में बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी), बहुराष्ट्रीय उद्यम और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप से और प्राय: एक-दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसे उद्यम होते हैं जो अपने मूल देश के अतिरिक्त एक अथवा अधिक देशों में प्रचालन करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित सफल कंपनियाँ होती हैं जो कई वर्षों प्रगति करके बड़ी कॉर्पोरेशन बनती हैं जो अपने विजन, कार्यनीतियों, और विकास, निर्माण, परिनियोजन, नियुक्ति, और मार्केटिंग आदि सहित प्रचालनों में अंतर्राष्ट्रीय होती हैं। सामान्यत: उनका स्वयं का एक बड़ा कर्मचारी बेस होता है और पूरे विश्व में मौजूदगी के साथ एक बड़ा प्रयोक्ता बेस भी होता है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही के नवाचारों, विशेष रूप से इंटरनेट की खोज ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास को और आगे बढ़ाया है। 'इंटरनेशनल न्यू वेंचर' (आईएनवी) कंपनी का उभरना इस तथ्य का प्रमाण है। इस प्रकार, सरल शब्दों में बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है और जिसका व्यवसाय और प्रचालन कम से कम एक अन्य देश में होता है। कौशलीकरण/प्रशिक्षण पहल के उद्देश्य से इस परिभाषा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण/प्रशिक्षण स्कन्ध/प्रभाग भी शामिल होंगे।

3.1.1 इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) सहित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)

कोई मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ऐसी प्रणालियाँ या घटक बनाता है जिनका प्रयोग किसी अन्य कंपनी के तैयार उत्पाद में किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर निर्माता सामान्यत: उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों/समाधानों में प्रोसेसर और सॉफ्टवेर जैसे ओईएम पुर्जे बंडल या एकीकृत करते हैं। आज के संदर्भ में, किसी मूल उपकरण निर्माता का अर्थ प्रौद्योगिकी – हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, परिसर के अंदर या परिसर के बाहर (प्राय: एक सर्विस मॉडल के रूप में) प्रदान की जाने वाली, बंडल में या अलग से, या दोनों के संयोजन में प्रौद्योगिकी के मूल सृजक से भी हो सकता है। इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) को भी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का हिस्सा माना जाता है।

उदाहरण: एपल, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, सैमसंग इलैक्ट्रोनिक्स, फॉक्सकॉन, इंटेल आदि।

3.1.2 मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम)

मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम) मूल उपकरण निर्माताओं से अलग तरह से प्रचालन करते हैं। वे उत्पादों को इन-हाउस विकसित करने के साथ-साथ विचार करते हैं, डिज़ाइन और विनिर्माण करते हैं, और इन उत्पादों को विभिन्न क्लायंट्स द्वारा खरीदा जाता है। व्यवसाय अनुसंधान एवं विकास पर अधिक लागत लगाए बिना किसी विचार को बेचे जा सकने वाले उत्पाद में बदलने के लिए मूल डिज़ाइन निर्माताओं की सेवाएँ लेते हैं।

उदाहरण: फ़्लेक्स लिमिटेड, क्वांटा कंप्यूटर इनकॉर्पोरटेड, पेगाट्रोन कॉर्पोरेशन, विस्ट्रोन कॉर्पोरेशन, सेलेस्टिका इनकॉर्पोरटेड, सनमिना कॉर्पोरेशन आदि।

3.1.3 मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर)

मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) एक संगठन होता है जो सामान्यत: किसी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के लिए बिक्री चैनल का हिस्सा होता है। मूल उपकरण निर्माता अपनी वस्तुओं और सेवाओं को छूट के साथ मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं को उपलब्ध करवाते हैं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता अंतिम प्रयोक्ता को बिक्री-पूर्व मूल्य जोड़ कर मूल उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्पाद की बिक्री सुविधाजनक बनाने में मदद करता है (जैसे संकल्पनाओं का प्रमाण उपलब्ध करवाना और बिक्री-पूर्व इंजीनियरिंग और बिक्री सहयोग उपलब्ध करवाना)। इन सेवाओं के लिए मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता उत्पाद की अंतिम बिक्री कीमत में कुछ बढ़ोतरी करते हैं।

उदाहरण: वेलोसियो, सिरियस कंप्यूटर सॉल्यूशन्स, प्रोसर्व सॉल्यूशन्स, एक्टिओन असोसिएट्स, टाटा टेक्नोलॉजीज आदि।

3.1.4 वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण

माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, अल्फाबेट (गूगल), एमेजोन, एनवीडिया, नेस्ले, रॉश आदि।

3.2 अन्य अग्रणी भारतीय उद्यम

आकार, कारोबार, रोजगार क्षमता, निर्यात क्षमता, प्रचालन, रणनीतिक महत्व, निर्माण, संविदा विनिर्माताओं (सीएम), आफ्टरमार्केट्स, सेवाओं और शिक्षा में प्रचालन आदि के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के अग्रणी भारतीय उद्यमों के अन्य वर्गीकरण हैं। इन अग्रणी भारतीय उद्यमों में से कई प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख उद्यमों में लौह एवं इस्पात, औषधि, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, दूरसंचार, एफएमसीजी, निर्माण एवं इंजीनियरिंग, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो घटक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, वित्तीय सेवाएँ, बैंकिंग और बीमा आदि शामिल हैं।

अग्रणी भारतीय उद्यमों की संकेतात्मक सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, भारती एयरटेल, टाटा स्टील लिमिटेड, महेन्द्रा ग्रुप, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड आदि को शामिल किया जा सकता है।

3.3 मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय

कोई इकाई, जो समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए कोई समझौता करती है और जिसे प्रशिक्षण निकायों को प्रत्यायित/संबद्ध करके और अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन को विनियमित करने के लिए किसी अनुमोदित अर्हता या कौशल के लिए प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी को प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी जाती है और जो प्रशिक्षु को किसी मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी (एए) के माध्यम से मूल्यांकित करवाती है।

3.4 मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी

कोई इकाई, जो समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए कोई समझौता करती है और जिसे यह आकलन करने के लिए कि किसी प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी ने किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा किसी अनुमोदित कौशल या अर्हता के संबंध में अपेक्षित क्षमताएँ/अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, परीक्षण करने या परीक्षाएँ/आकलन आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

4. कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन

4.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और अनुमोदित "अर्हता"

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और अनुमोदित "अर्हता" या "कौशल" का अर्थ है कोई अर्हता या कौशल जिसके संदर्भ में एनसीवीईटी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) में दिए गए प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार कोई अर्हता पैकेज अनुमोदित किया है।

4.2 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के मानदंड

4.2.1 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के रूप में पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

i. **वित्तीय मानदंड:** भारत से बाहर मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत सहित कम से कम पाँच (5) देशों में प्रचालन होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (दो बिलियन डॉलर) का वार्षिक कारोबार** होना चाहिए।

ii. **पूर्व अनुभव:** कंपनी ने **पिछले तीन (3) वर्षों में** अपने स्वयं के कर्मचारियों सहित **वैश्विक रूप से कम से कम 2,50,000 छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों** के लिए कौशल प्रशिक्षण और आकलनों का आयोजन किया होना चाहिए, जिनमें से **कम से कम 10,000 भारत में होने चाहिए**।

iii. एनसीवीईटी लोक हित में किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उभरती हुई/भविष्य की टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, नए जमाने के/भविष्य के कौशल के क्षेत्रों में या रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को संशोधित कर सकती है।

4.2.2 अग्रणी भारतीय उद्यमों के लिए

i. **वित्तीय मानदंड:** भारत के कंपनी रजिस्ट्रार के साथ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी भारतीय कंपनी के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में **वार्षिक कारोबार कम से कम 8,000 करोड़ रुपये होना चाहिए**।

ii. **पूर्व अनुभव:** कंपनी ने पिछले तीन (3) वर्षों में **अपने स्वयं के कर्मचारियों सहित कम से कम 10,000 छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों** का कौशल प्रशिक्षण या प्रशिक्षण और आकलन किया होना चाहिए।

iii. एनसीवीईटी लोक हित में किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उभरती हुई/भविष्य की टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, नए जमाने के/भविष्य के कौशल के क्षेत्रों में या रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को संशोधित कर सकती है। **आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उनके स्वयं के उत्पादों, उच्च माँग वाली सेवाओं या प्रौद्योगिकियों से संबंधित होनी चाहिए।**

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा करवाए जाने वाले कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का क्रेडिटाइजेशन (राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत) करने के लिए ये पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उनके स्वयं के उत्पादों, उद्योग/बाजार में उच्च माँग वाली

सेवाओं या प्रौद्योगिकियों से संबंधित होनी चाहिए, और इनके द्वारा वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय संख्या में रोजगार सृजित किए गए हों, जिससे छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

4.2.3 कंपनी की कानूनी स्थिति और अन्य शर्तें:

इकाई कंपनी के रूप में रजिस्टर होनी चाहिए और कंपनी का लागू क़ानूनों के अनुसार भारत में प्रचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ एक वैध कानूनी अस्तित्व होना चाहिए।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, वे एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य अवार्डिंग निकायों की तरह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर सेक्शन 8 कंपनी नहीं भी हो सकती है।

4.2.4 ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्लेटफॉर्म्स और एड्यू टेक/ईडी टेक कंपनियाँ इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं

केवल ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्लेटफॉर्म्स/पाठ्यक्रम, कोई वेबस्पेस या पोर्टल प्रदान करने वाली पूरी तरह से प्रौद्योगिकी कंपनियाँ (जिन्हें संक्षेप में एड्यू टेक, या ईडी टेक कंपनियाँ कहा जाता है) इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती हैं।

4.2.5 मानदंडों में संशोधन

पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के माध्यम से कौशलीकरण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने और भारत के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशलीकरण उद्देश्यों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के शर्ताधीन छात्रों, शिक्षार्थियों और कार्यबल के समग्र हित में उपर्युक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड को एनसीवीईटी द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4.3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन की प्रक्रिया

अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के लिए उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से एनएसक्यूसी अनुमोदन प्रक्रिया को अपना कर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अपनी अर्हताओं को संरेखित करने के लिए पात्र हैं।

4.3.1 अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने के बाद अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त होने से वह इकाई अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करने और स्वयं अनुमोदित करने के लिए भी पात्र हो जाती है जिससे प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी के अधिगम का क्रेडिटाइजेशन किया जा सकेगा और उन्हें एनसीवीईटी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी अन्य लाभों के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में क्रेडिट्स संग्रहित कर सकते हैं।

तथापि, कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनसीवीईटी प्रमाणन और क्रेडिटाइजेशन प्रदान करने के लिए अवार्डिंग निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानक श्रेणी के अवार्डिंग निकाय के मामले में आकलन एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी द्वारा या अवार्डिंग निकाय के एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित दोहरी श्रेणी के अवार्डिंग निकाय होने की स्थिति में स्वयं अवार्डिंग निकाय (एबी) द्वारा किया जाना चाहिए।

संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी को एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए मानक मानदंडों और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने होंगे।

4.3.2 संबंधित क्षेत्र में पहले से एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

इस मामले में मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जिस सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे कौशलीकरण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ लागू करना चाहती हैं उस सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मौजूदा अवार्डिंग निकाय (एबी) के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए एनसीवीईटी को अपने कौशलीकरण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत कर सकती हैं।

संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने होंगे।

एनएसक्यूसी द्वारा कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हता अनुमोदित किए जाने के बाद प्रशिक्षण और आकलन का समन्वय करने की ज़िम्मेदारी संबंधित मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय की होगी जो इन कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के कार्यान्वयन के दौरान एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4.3.3 एक बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम के रूप में एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त किए बिना या पहले से मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किए बिना एक प्रतिष्ठित उद्योग की क्षमता में अपनी अर्हताएँ एनसीवीईटी को प्रस्तुत करने का भी विकल्प है। इस मामले में, एनसीवीईटी ऐसी अर्हताओं की अभिरक्षक होगी और यह इस सेक्टर में प्रामाणिक क्षमता, विश्वसनीयता और साख वाले किसी पहले से मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय को इन अर्हताओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। एनसीवीईटी शिक्षार्थियों को एनसीवीईटी के प्रमाणन मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अवार्डिंग निकाय और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा संयुक्त प्रमाणन का विकल्प भी देगी। इस प्रकार के एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकती हैं। (https://ncvet.gov.in/qualification-related/)

इस प्रकार प्रस्तुत की गई अर्हता का नामकरण जॉब के प्रचलित मानदंडों के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे प्रतिष्ठित उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हता का नाम 'इस प्रावधान के अंतर्गत किसी ऐसे निकाय द्वारा प्रस्तुत' के रूप में दर्शाया जाता रहेगा। प्रतिष्ठित उद्योग के रूप में अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण से संबंधित विस्तृत प्रावधान अनुलग्नक I में संलग्न हैं।

4.4 अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने की प्रक्रिया

इन दिशानिर्देशों के भाग 3 में परिभाषित मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करने, प्रशिक्षण कार्यान्वित करने, निम्नलिखित तरीकों से एनसीवीईटी के अनुसार आकलन करवाने के लिए अवार्डिंग निकाय (एबी) के तौर पर भी एनसीवीईटी की मान्यता के लिए अनुरोध कर सकती हैं।

4.4.1 मानक श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:

अवार्डिंग निकाय की इस श्रेणी के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित करवाता है, स्वयं या अपने प्रत्यायन/संबद्ध प्रशिक्षण निकायों के माध्यम से प्रशिक्षण करवाता है, एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी आकलन एजेंसी (एए) द्वारा प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों का आकलन करवाता है और उन्हें किसी अनुमोदित कौशल या अर्हता के संदर्भ में प्रमाणित करता है। तथापि कोई मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय स्वयं प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों का आकलन नहीं करता है। इस मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसियों की सेवाएँ लेगी और इसे अलग आकलन अवसंरचना और संसाधन विकसित करने और प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.4.2 दोहरी श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:

अवार्डिंग निकाय की इस श्रेणी के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम एक मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के सभी कार्य निष्पादित करता है और इसके अतिरिक्त इसके द्वारा विकसित और एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में किसी आकलन एजेंसी (एए) की भूमिका निभाता है। इस प्रकार एक मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय स्वयं भी प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों की परीक्षाएँ/आकलन आयोजित करता है। हालांकि यह संसाधनों के आवंटन के साथ-साथ आकलन क्रियाकलापों को प्रशिक्षण क्रियाकलापों से अलग रखने के साथ पर्याप्त आकलन क्षमता और अवसंरचना विकसित और प्रदर्शित करेगा।

4.4.3 अवार्डिंग निकाय के तौर पर मान्यता (मानक या दोहरी) प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप

एक अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता (मानक या दोहरी) प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम **अनुलग्नक 2** में संलग्न प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

दिशानिर्देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा अपनी अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करके और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित करवा कर उनके द्वारा आयोजित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए प्रावधान किया गया है। मौजूदा अवार्डिंग निकाय तंत्र और संरेखण माध्यम अप्रभावित रहेंगे।

4.5 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का अनुमोदन:

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निर्धारित एनएसक्यूएफ अर्हता टेम्पलेट/प्रारूप में उनके कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत कर सकती हैं। (टेम्पलेट https://ncvet.gov.in/qualification-related/ पर उपलब्ध है)।

प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित एनएसक्यूएफ मानक/मानदंड ऐसे कौशलीकरण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं की वैश्विक प्रतिष्ठा और बाजार माँग के कारण संभवत: उन पर लागू नहीं होंगे:

i. **जरूरत का प्रमाण** क्योंकि ये कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ पहले से वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त और स्वीकार्य हैं।

ii. **उद्योग वैधीकरण** क्योंकि कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उद्योग लीडर्स द्वारा स्वयं लाई जा रही हैं।

iii. **संबंधित मंत्रालय की सहमति** क्योंकि ये पूरी तरह से बेहतरीन जॉब संभावनाओं वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों से संबंधित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ हैं।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम मानक एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया जाएगा। मूलभूत विषयवस्तु के साथ इस प्रकार अपलोड किए गए कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों/शिक्षार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम नि:शुल्क उपलब्ध अनुमोदित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं से संबंधित विस्तृत अधिगम सामग्री/विषयवस्तु भी बना सकता है। तथापि कुछ कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के संबंध में प्रमाणन के उद्देश्य से आकलन शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

4.6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अग्रणी भारतीय उद्यम के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं की प्रकृति

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम की एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित तथा अनुमोदित अर्हताएँ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा या डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र आदि जैसे कौशल शिक्षा कार्यक्रमों में वैकल्पिक कार्यक्रमों के रूप में उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम से संबंधित विशिष्ट पाठ्यक्रमों/अर्हताओं पर संबंधित विनियामकों/उच्च शिक्षा संस्था द्वारा किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए ज़ोर नहीं दिया जाएगा या इन्हें अनिवार्य/आवश्यक पाठ्यक्रम/अर्हता नहीं बनाया जाएगा।

तथापि कोई छात्र/शिक्षार्थी निर्धारित उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त इन पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का अध्ययन कर सकता है और शिक्षार्थी द्वारा इस प्रकार अर्जित क्रेडिट्स पर अवार्डिंग निकाय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र अवार्ड करने के लिए विचार किया जा सकता है।

4.7 कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन

4.7.1 क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन

अधिगम का क्रेडिटाइजेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र प्रारूप में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड किया जाएगा और प्रमाण-पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक अपने एपीएएआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑपरेट किए जाने वाले अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में अपने क्रेडिट्स संग्रहित कर सकेंगे।

4.7.2 प्रमाण-पत्र के प्रारूप

ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक का प्रमाणन बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों पर लागू एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र प्रारूपों के अनुसार होगा। प्रमाण-पत्र में संबंधित अवार्डिंग निकाय (एबी) या उच्च शिक्षा संस्था (एचईआई) और बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा एनसीवीईटी की ओर से संयुक्त प्रमाणन के लिए भी प्रावधान होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी अभ्यर्थियों को अपना स्वयं का अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकती है। वैश्विक पद्धतियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा प्रमाणन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रमाण-पत्र के प्रारूप में एनसीवीईटी द्वारा उचित संशोधन किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4.7.3 कौशल भारत ब्रांडिंग

बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों के एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और अनुमोदित पाठ्यक्रमों/अर्हताओं पर आयोजित किए जाने वाले सभी कौशलीकरण और प्रशिक्षणों पर कौशल भारत का लोगो और ब्रांडिंग भी होगी।

4.8 डेटा साझा करना:

चूंकि कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हता पर आधारित प्रमाणन राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिटाइज़ किया जाएगा, इसलिए यह वांछनीय है कि संबंधित छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्मिकों की सहमति से छात्र/शिक्षार्थी/कार्मिक का सत्यापन योग्य डेटा साझा किया जाए।

यह डेटा संबंधित कौशलीकरण तंत्र के हितधारकों सहित एनसीवीईटी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।

तथापि इस प्रकार डेटा साझा किया जाना "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के प्रावधानों के शर्ताधीन होगा।

मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता, या अग्रणी भारतीय उद्यम सहित बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों का प्रशिक्षण डेटा और आकलन डेटा अधिगम के क्रेडिटाइजेशन और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के निम्नलिखित मान्यताप्राप्त निकायों/सरकारी एजेंसियों के साथ क्रेडिट्स के असाइनमेंट, संग्रहण, अंतरण और रिडीम करने के लिए निर्धारित प्रारूप/एपीआई के माध्यम से साझा किया जाना होगा:

i. कौशलीकरण/प्रशिक्षण को प्रबंधित करने और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संबंधित अवार्डिंग निकाय (एबी)। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय प्रशिक्षण के सुचारु कार्यान्वयन, आकलन, शिक्षार्थियों के प्रमाणन और क्रेडिट्स अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को अंतरित करने के लिए संबंधित आकलन एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण बैच और अन्य अपेक्षित विवरण साझा करेगा।

ii. छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों का आकलन करने के लिए आकलन एजेंसी (एए)। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी भी आकलन डेटा संबंधित अवार्डिंग निकाय के साथ साझा करेगी।

iii. स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी)।

iv. डिजिलॉकर और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) प्लेटफॉर्म्स।

यदि छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक संबंधित हितधारकों के साथ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी उद्योग के ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए कोई क्रेडिट्स नहीं दिए जाएंगे। डेटा "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के अनुपालन में साझा किया जाएगा, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस प्रकार प्रोसेस करने का प्रावधान है जिसके तहत व्यक्तियों के उनके व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित करने के अधिकार और कानूनी प्रयोजनों से और इससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

डेटा के कानूनी रूप से वैध प्रयोग, सहमति, डेटा प्रदाता के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के साथ "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के खंड 4, 6 और 11 मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित

शिक्षार्थी(यों) और/या संगठन से इस संबंध में सहमति प्राप्त करने के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित सभी प्रयोजनों के लिए डेटा साझा करने के संबंध में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों पर सख्ती से लागू किए जाने चाहिए।

4.9 अन्य लागू एनसीवीईटी दिशानिर्देश:

तथापि "अवार्डिंग निकायों को मान्यता देने और उनके विनियमन के लिए दिशानिर्देश और आकलन एजेंसियों को मान्यता देने और उनके विनियमन के लिए दिशानिर्देश" (https://ncvet.gov.in/guidelines/) में उल्लिखित प्रावधान "बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यम के प्रशिक्षण और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संशोधित माने जाएंगे।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और कौशलीकरण तंत्र के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन पर भी एनसीवीईटी के निम्नलिखित अन्य दिशानिर्देश लागू होंगे:

i. मल्टी-स्किलिंग और क्रॉस-सेक्टोरल स्किलिंग के लिए दिशानिर्देश
ii. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण हेतु मिश्रित अधिगम के लिए दिशानिर्देश
iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल्स (एमसी) के विकास, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश

तथापि, किसी भी विनियम का अनुप्रयोग ऐसी कंपनियों द्वारा कार्यान्वित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं सहित केवल व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण प्रचालनों के संबंध में होगा।

5. हितधारकों के लिए सुविधाएं और लाभ

छात्र/शिक्षार्थी	**नियोक्ता**	**मूल उपकरण निर्माताओं सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ**	**सरकार**
उद्योग के नेतृत्व में, उद्योग द्वारा विधीक्षित और उद्योग द्वारा कार्यान्वित अर्हताएँ शिक्षार्थी द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार क्रेडिट्स का संचयन संचित प्रमाण-पत्रों और क्रेडिट्स का इलैक्ट्रोनिक रूप से डिजिलॉकर और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में संग्रहण क्रेडिट्स रिडीम करवा कर व्यावसायिक और शैक्षणिक विषय-क्षेत्रों के बीच बेहतर मोबिलिटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार क्षमता और बाजार पहचान	अपेक्षित क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार और कुशल कार्यबल की उपलब्धता नियुक्ति और प्रशिक्षण की कम लागत के साथ प्रभावी और कुशल भर्ती प्रचालन की कम लागत बेहतर उत्पादकता कार्मिकों की संख्या कम करने और छंटनी की दर में कमी। डिजिलॉकर और	भारत सरकार द्वारा मान्यता बेहतर विश्वसनीयता और स्वीकार्यता मानकीकृत कार्यविधियों और मानदंडों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के परिणाम एनसीवीईटी के लोगो के साथ एक समान प्रमाण-पत्र अर्हताओं का राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनसीओ) के साथ संरेखण सरकारी फंडिंग के लिए पात्र अर्हताओं की अंतर्राष्ट्रीय और	देश में बेरोजगारी में कमी औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि जिससे देश का समग्र आर्थिक विकास होता है कुशल कार्यबल के एक पूल का सृजन उच्च गुणवत्ता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणनों को मान्यता प्रशिक्षण और प्रमाणनों के विभिन्न मॉडल्स का राष्ट्रीय नीतिगत पहलों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ संरेखण। कुशल कर्मचारियों का सुदृढ़ डेटाबेस।

एनएसक्यूएफ के स्तर और एनसीओ कोड के साथ मैप किया गया सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणन प्रशिक्षण और प्रमाणन की कम लागत किसी शिक्षार्थी द्वारा अर्जित अर्हता(एँ) राष्ट्रीय कौशल संग्रह/डिजिलॉकर/ अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए खाते/वॉलेट/ ऐसी किसी अन्य व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है कौशल का बेहतर मूल्य/ प्रतिफल, जो आर्थिक प्रगति में योगदान देता है।	अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से प्रमाण-पत्रों और क्रेडिट्स का सत्यापन	क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स के साथ मैपिंग अर्जित लाभों के कारण औपचारिक प्रमाणनों की बड़ी संख्या वैश्विक जरूरतों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी/मूल उपकरण निर्माताओं की टेक्नॉलॉजी में कुशल बड़े प्रतिभा पूल का सृजन/उपलब्धता	

अनुलग्नक 1

<u>किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हताओं के अनुमोदन के लिए प्रावधान</u>

1. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ/अग्रणी भारतीय उद्यम (मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त), जिन्होंने बाजार के लिए प्रासंगिक अर्हताएँ विकसित की हैं और जो इनका कार्यान्वयन कर रहे हैं और/या जिन्होंने प्रदर्शन योग्य क्षमताओं के साथ कौशल अर्हताओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने की इच्छा जताई है, अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना एनएसक्यूएफ संरेखण और ऐसी अर्हताओं के अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी से संपर्क कर रहे हैं।

2. उपर्युक्त के अनुरूप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों (मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त) की निश्चित गुणवत्ता की बाजार के अनुरूप अर्हताओं पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए विचार किया जा सकता है और एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने के शर्ताधीन अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है:

क) अर्हताएँ किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए जो कोई सरकारी या निजी क्षेत्र का संगठन हो सकता है;

ख) अर्हता उद्योग की जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के पाठ्यक्रम और विषयवस्तु के साथ अच्छे प्रकार से डिज़ाइन और विकसित की जानी चाहिए;

ग) अर्हता बाजार में उच्च माँग वाले कौशलों, बेहतर रोजगार संभावनाओं या उद्यमिता/स्वरोजगार अवसरों के साथ उद्योग द्वारा अपेक्षित भविष्य के कौशलों से संबंधित होनी चाहिए;

घ) एनसीवीईटी ऐसी अर्हताओं की अभिरक्षक होगी और इस सेक्टर में प्रामाणिक क्षमता, विश्वसनीयता और साख वाले किसी पहले से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय को ऐसी अर्हताओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है;

ङ) इस श्रेणी में अनुमोदित अर्हताएँ एनसीवीईटी में राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) का हिस्सा बन जाएंगी और अपनाने के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाने के लिए सभी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों के पास उपलब्ध होंगी;

च) ऐसी अर्हताओं की वैधता एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों के अनुसार होगी और अर्हताओं का संशोधन संबंधित अग्रणी भारतीय उद्यमों या एनसीवीईटी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाएगा;

छ) एनसीवीईटी के प्रमाणन मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार एनसीवीईटी अवार्डिंग निकाय और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा शिक्षार्थियों के संयुक्त प्रमाणन का विकल्प प्रदान करेगी;

3. किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के अतिरिक्त अग्रणी भारतीय उद्यमों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हताओं के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त प्रावधान केवल "बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश" के भाग 4.2 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली इकाइयों पर लागू होंगे। तदनुसार ऐसी सभी इकाइयां अपेक्षित जानकारी अनुलग्नक 2 में प्रदान करेंगी (केवल भाग क, ख और ग में और भाग घ के क्रम संख्या 21 और 22 में अपेक्षित सूचना दी जानी है)।

अनुलग्नक 2

आवेदन पत्र

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए मान्यता

क्र. सं.	**मानदंड**	**कृपया संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख करें और/या प्रस्तुत करें**
1.	श्रेणी: क) मानक अवार्डिंग निकाय (एबी) की मान्यता अथवा ख) दोहरी अवार्डिंग निकाय (एबी) मान्यता अथवा ग) बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम (मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त)	
भाग क	**मूलभूत जानकारी**	
2.	कंपनी का नाम	
3.	मूल कंपनी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	कंपनी की स्थापना किए जाने की तारीख और स्थान (यदि लागू हो)	
5.	मूल कंपनी की स्थापना किए जाने की तारीख और स्थान (यदि लागू हो)	
6.	पूरा पता और संपर्क सूचना	
7.	कंपनी का वेबसाइट यूआरएल	
8.	प्रमुख और एसपीओसी (सीईओ/शिक्षा और कौशलीकरण प्रमुख) का नाम और पदनाम	
9.	एसपीओसी का मोबाइल फोन/फोन नंबर और ईमेल आईडी	
भाग ख	**कंपनी की कानूनी स्थिति**	
10.	**भारतीय कंपनी के लिए:** कंपनी रजिस्ट्रार के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र	
11.	**विदेशी कंपनी के लिए:** निम्नलिखित में से कोई (जो लागू हो) क) भारत में सहायक कंपनियों के लिए - कंपनी रजिस्ट्रार के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र ख) संयुक्त उपक्रमों के लिए – समझौता ज्ञापन/करार	

12.	**कंपनी में कर्मचारियों की संख्या** क) वैश्विक स्तर पर ख) भारत में (यदि कानूनी शर्तों जैसे किन्हीं वैध कारणों से सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 30,000 से अधिक कर्मचारी।)	
13.	**कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के प्रयोक्ता समुदाय का अनुमानित/संकेतात्मक आकार** क) वैश्विक रूप से ख) भारत में (यदि गुणवत्ता की दृष्टि से यह आंकड़ा प्रस्तुत करना संभव न हो तो इस प्रश्न का उत्तर व्यवसाय के स्वरूप और ग्राहक बेस की प्रकृति स्पष्ट करते हुए परिमाणात्मक रूप से दिया जा सकता है।)	
भाग ग	**प्रचालन का पैमाना**	
14.	<table><tr><td colspan="3">संगठन का राजस्व (पिछले 03 वर्षों में)</td><td></td></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td><td>कुल</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	
15.	प्रचालन के वर्ष क) वैश्विक स्तर पर ख) भारत में	
भाग घ	**प्रशिक्षण अनुभव: कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ**	
16.	विकसित किए जा रहे और उपलब्ध करवाए जा रहे पाठ्यक्रमों/कौशल प्रशिक्षणों/अर्हताओं की संख्या (कृपया सर्वोच्च 50 या 100 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं की सूची संलग्न करें) क) ऑनलाइन ख) ऑफलाइन ग) मिश्रित पद्धति से	
17.	कृपया निम्नलिखित की संख्या दर्शाएँ (भारत में) क) कंपनी के स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र ख) कंपनी के प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर्स ग) प्रशिक्षण पार्टनर्स द्वारा संचालित संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र	
18.	कृपया निम्नलिखित श्रेणियों में **कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं** का अनुमानित वर्गीकरण दर्शाएँ क) सामान्य सॉफ्ट स्किल्स/जीवन कौशल ख) रोजगार क्षमता के लिए कौशल ग) सामान्य तकनीकी कौशल घ) विशेषीकृत तकनीकी कौशल ङ) विशेषीकृत कार्यकारी प्रबंधकीय कौशल च) अन्य- कृपया उल्लेख करें (पाठ्यक्रमों के प्रकार के संदर्भ में, यदि ऊपर उल्लिखित पृथक्करण संभव न हो तो यह संगठन के आंतरिक पृथक्करण के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।)	

<table>
<tr><td>19.</td><td>इनमें से कितने पाठ्यक्रमों/कौशल प्रशिक्षणों/अर्हताओं में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखण के लिए अपेक्षित निम्नलिखित पहलुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं/इन्हें कवर करते हैं: (कृपया सूची संलग्न करें)
क) अधिगम के परिणाम,
ख) प्राप्त किए गए सक्षमता स्तर,
ग) प्रयोग की जाने वाली आकलन पद्धति
घ) प्रगति के मार्ग</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>कौशलीकरण और प्रशिक्षण में प्रचालन के कुल वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td><table><tr><td rowspan="2">वैश्विक स्तर पर</td><td colspan="3">उन छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों की अनुमानित संख्या जिन्हें कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ प्रदान की गई हैं*</td></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>*(यदि सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 50,000 से अधिक शिक्षार्थी।)</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td><table><tr><td rowspan="2">भारत में</td><td colspan="3">उन छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों की अनुमानित संख्या जिन्हें कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ प्रदान की गई हैं*</td></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>*(यदि सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 50,000 से अधिक शिक्षार्थी।)</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>उपलब्ध प्रशिक्षकों की संख्या
क) भारत में
ख) वैश्विक स्तर पर</td><td></td></tr>
<tr><td>भाग ड.</td><td>आकलन करने का अनुभव (केवल दोहरी श्रेणी के अवार्डिंग निकाय आवेदक पर लागू)</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td><table><tr><td rowspan="2">देश का नाम</td><td colspan="3">उनके स्वयं के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के लिए किए गए आकलनों की संख्या</td></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

25.	अधिगम के परिणामों का परीक्षण करने के लिए आकलन की आयोजना और डिलिवरी की प्रक्रिया, उदाहरण के लिए क) रचनात्मक आकलन, ख) सारांशित आकलन, ग) मानक संदर्भित आकलन घ) मानदंड संदर्भित आकलन ङ) उद्योग सत्यापन आकलन च) एआई आधारित आकलन छ) नैदानिक आकलन ज) बिना किसी क्रम के पीयर टू पीयर आकलन झ) इप्सेटिव या स्व-संदर्भित आकलन ञ) स्व-अधिगम के बाद स्व-आकलन	
26.	उपलब्ध आकलनकर्ताओं की संख्या क) राष्ट्रीय स्तर पर ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	
27.	आप आकलन कैसे करते हैं? क) व्यक्तिगत रूप से/भौतिक रूप से ख) ऑनलाइन प्रोक्टर किया गया ग) ऑनलाइन एआई प्रोक्टर किया गया घ) मिश्रित पद्धति ङ) वीडियो कैप्चरिंग च) कोई अन्य: कृपया उल्लेख करें	
28.	क्या अधिगम के परिणामों का परीक्षण करने के लिए उचित प्रश्न बैंक और प्रश्न हैं, और क्या प्राप्त किए गए सक्षमता स्तर सही स्थान पर हैं (पाठ्यक्रम/अर्हता-वार)	
29.	उपयोग किए जा रहे या उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित आकलन टूल्स (कृपया सूची दें)	
30.	**कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं** के संबंध में फीडबैक तंत्र और इसका विश्लेषण (प्रशिक्षण और आकलन दोनों)	
भाग च	**प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग**	
31.	**पाठ्यक्रमों और अर्हताओं, कौशलीकरण और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म** की प्रमुख विशेषताएँ	
32.	प्रशिक्षण पोर्टल यूआरएल	
33.	**पाठ्यक्रमों और अर्हताओं**, आकलन इंजन की प्रमुख विशेषताएँ	
34.	आकलन पोर्टल यूआरएल, यदि कोई हो	
35.	प्रशिक्षण/आकलन इंजन को अपनाने और मिश्रित अधिगम टूल्स के साथ संरेखण के संदर्भ में अनुकूलता और क्षमता (कृपया https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-for-Blended-Learning-for-Vocational-Education-Training-Skilling.pdf का संदर्भ लें)	

टिप्पणी:

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) प्रत्येक देश में मिलने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अनुकूलन करते हुए विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियों और संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रचालन करती हैं।

i. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशों में स्थानीय प्रचालनों में प्रत्यक्ष निवेश करते हुए सहायक कंपनियाँ या शाखाएँ स्थापित कर सकती हैं।

ii. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ संयुक्त उपक्रमों या रणनीतिक संघ के माध्यम से स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स कर सकती हैं। यह उन उद्योगों में आम है जिनमें स्थानीय विशेषज्ञता अनिवार्य होती है।

iii. किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की संरचना और जिस प्रकार यह प्रचालन करती है, वह भी आवश्यक है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विविध कानूनी, विनियामक, और कर व्यवस्थाओं में प्रचालन करना होता है। इसके लिए श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा, और कराधान से संबंधित स्थानीय क़ानूनों की समझ और अनुपालन की जरूरत होती है।

इसलिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आवेदन पत्र के भाग घ और भाग ड. के सेक्शनों में उल्लिखित सूचना देते हुए उनकी सहायक कंपनियों, मूल कंपनी और स्थानीय संयुक्त उपक्रमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण अनुभव का विवरण भी प्रदान कर सकती हैं। तथापि ऐसे विवरण का संबंधित कंपनी के नाम और आवेदक कंपनी के साथ इसके संबंध का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। एनसीवीईटी मामले की मेरिट के आधार पर इस पर विचार कर सकती है।

कर्नल संतोष कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./192/2024-25]

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2023

NCVET Guidelines on Creditisation of Skilling & Training Courses & Qualifications of Multinational Companies (MNCs) and Leading Indian Enterprises

F. No. 42001/01/2023/NCVET— 1. INTRODUCTION

1.1. BACKGROUND AND NEED

To remain competitive in today's environment, most of the Multinational companies (MNCs) deploy and work on the cutting-edge, emerging and future technologies requiring a high quality skilled and trained workforce at all levels, including operators, technicians, executives, engineers, specialists, and other professionals. These companies contribute significantly to country's economy by catering to both local and global requirements. The quest for skills has further been fuelled by the challenges posed by a fast and dynamic globalising world economy. With the technology evolving at an accelerated pace, the skill development requirements also change rapidly and frequently, thereby creating a need for constantly upgrading the training programs and skill sets of learners to remain relevant and up-to-date in the job market.

The MNCs are known to hire the best talent globally, skill and train them, which allows these companies to provide the best technical knowledge and innovative thinking to its products, processes and services. This also enables the learners the base knowledge of similar products, processes and services available with the other companies. Most of these companies are able to create, through their skilling and training programs, a globally competitive pool of manpower knowledgeable about the global best practices and technologies. These MNCs skill and train manpower for their own internal deployment as well as for their customers. The training and skilling courses designed by the MNCs, including the leading Indian enterprises, are well recognised in the industry, truly reflecting the requirements of the global job market. Therefore, such skilling and training courses/ qualifications add significant value to the students and learners thereby making them employable and job ready for the Indian as well as the global market.

It is in this context that the role of MNCs including leading Indian enterprises in skill education and training initiatives assumes special significance. This will enable development of a world-class pool of skilled manpower in India. Therefore, it is important to associate them with the formal training and skilling ecosystem, by recognising the training courses conducted by them including Creditisation under the National Credit Framework (NCrF), in the interest of the students, learners, the educational institutions, industry and the National skilling ecosystem at large.

Thus, the participation of the MNCs, including the leading Indian Enterprises in the skilling ecosystem is imperative as they are the final consumers of the products and services in the form of skilled manpower. These companies are well placed to gauge the skill requirements, foresee the future trends, and adopt the technological advancements and

develop the qualifications/ job roles accordingly, skill the students/ learners for the current requirements, while also make them future ready. Hence, these companies need to encourage and lead the Vocational Education and Training (VET) and skilling efforts to realise the Hon'ble PM's vision of making India 'The Skill Capital ofthe World'.

1.2. POLICY INITIATIVES IN EDUCATION AND SKILLING

The **Skill India Mission** of the Government aims at closing the gap between skills required by the industries and the skills the workforce possess for employment generation thereby increasing the competitiveness of Indian businesses. One of the main objectives of the **National Policy for Skill Development & Entrepreneurship** 2015 is '*to address human resource needs by aligning supply of skilled workers with sectoral requirements of industry and the country's strategic priorities including flagship programmes like 'Make in India'.* The Policy also aims to increase industry participation and development of market-led training standards and curriculum.

The **National Education Policy (NEP) 2020** lays emphasis on making the education more holistic and effective by integration of general (academic) and vocational education, while ensuring the vertical and horizontal mobility of students and learners. It provides for imaginative and flexible curricular structures that will enable creative combinations of disciplines for study, and would offermultiple entry and exit options, thus, removing rigid boundaries and creating new possibilities forife-long learning. This would also provide opportunities for multidisciplinary learning and work options in academia, government, and industry.

The National Credit Framework (NCrF) provides for broad-based, multi-disciplinary, holistic education, and Creditisation of all types of learning, enabling integration of credits from academic domain, vocational domain and experiential learning, including internship, apprenticeship, on the job training & work experience.

The NCrF also provides for imaginative and need-based curricular structures, assignment, accumulation, storage, transfer and redemption of credits, subject to assessment, including Creditsfor online, digital and blended learning. It establishes academic equivalence between vocational and general education, provides Multiple Entry and Multiple Exit (ME-ME) options, ensuring horizontal and vertical mobility and its operationalization through the Academic Bank of Credits (ABC). It also has provision for Recognition of Prior Learning (RPL), with or without upskilling and NCrF credit levels and credit assignment for the same for mainstreaming the learners who are out of formal education and skilling ecosystem.

Thus, NCrF encourages lifelong learning with multiple entry and exit options whereby a learner notonly easily switch between work and learning, but also work while learning.

1.3. NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (NCVET)

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) has been notified as an overarching umbrella regulator establishing regulations and standards to ensure quality in the TVET space, on 5th December 2018, vide Notification no. No. SD-17/113/2017-E&PW, subsuming the erstwhile National Skill Development Agency (NSDA) and the National Council for Vocational Training (NCVT).

The National Council for Vocational Education and Training has been entrusted with the development, qualitative improvement and regulation of vocational education and training, for granting recognition to and monitoring the functioning of awarding bodies, assessment agencies, skill information providers and training bodies, and to perform other incidental functions as specified in the notification. The establishment of NCVET has also consolidated the fragmented regulatory framework in the Vocational Education and Training (VET) and skill ecosystem.

The major functions of NCVET are recognition regulation and monitoring of Awarding Bodies (ABs), Assessment Agencies (AAs), approval of qualifications as per the NSQF (National Skills Qualification Framework) and monitoring, evaluation and supervision of recognized entities.

1.4. NATIONAL SKILLS QUALIFICATION FRAMEWORK (NSQF)

The National Skills Qualification Framework (NSQF) was introduced in 2013 through a Cabinet notification, as a single unified framework for all qualifications. It is nationally integrated education and competency based framework that enables persons to acquire desired competency levels, transitto the job market and, at an opportune time, return for acquiring additional skills as required to further upgrade their competencies.

The NSQF is now anchored in NCVET is operationalised and its implementation is ensured through, inter-alia, the National Skills Qualification Committee (NSQC), which has been re- constituted, with representation from Central Ministries concerned, NITI Aayog, regulators of higher and technical education University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Central Board of School Education (CBSE), select State Skill Development Missions, Awarding Bodies including Directorate General of Training (DGT), SectorSkill Councils (SSCs) and select industry bodies.

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) by virtue of the provisionsof para 16(f) of the Notification no. No. SD-17/113/2017-E&PW, dated 5th December 2018 enabling NCVET to frame the guidelines

'for the approval of qualification packages, and approve qualification packages in the manner set out in such guidelines' and subsequent approval of National Credit Framework by the Government and notification of the same by University Grants Commission (UGC) dated 10th April 2023 and public notice issued vide No.F. No 2-3/2022 (QIP) dated April 21, 2023, the rationalized and revised National Skills Qualification Framework (NSQF) has been notified vide No: 22001/01/2023/NCVET, dated 6th June 2023, in supersession of the earlier notification dated 13th December 2013.

Since, the NSQF is based on an outcome-based approach, participation of the industry and employers is a critical prerequisite for the success of NSQF. NSQF norms enables identification of job roles as per the job market and the designing qualifications as per the industry standards in consultation and concurrence of industry. Industry is also expected to extend its hand further to playactive role in training and assessment activities as well.

The detailed National Skills Qualification Framework (NSQF) Notification along with the Level Descriptors is available at https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/National-Skills-Qualification- Framework-notification-June-2023.pdf

2. OBJECTIVES AND SCOPE OF GUIDELINES

2.1. OBJECTIVES

With the implementation of National Education Policy (NEP) and National Credit Framework (NCrF), the pathways to multiple horizons of both vocational and general education have opened. The credits have become an important instrument in achieving the same amongst many other benefits. However, to be able to creditise a skill qualification its recognition and formalization through NSQF alignment, approval and assessment is required. Therefore, to facilitate recognitionand formalization of MNC qualifications (including OEMs), these guidelines have been issued.

The Draft Guidelines for Creditisation of Training courses and Qualifications of Multinational Companies (MNCs) and Leading Indian Enterprises, including, Original Equipment Manufacturer (OEM), Original Design Manufacturer (ODM), and Value-Added Reseller (VAR), aim to recognise, formalize and creditise the skill training being carried out by them. Also, these companies are the torch bearers in the future of work and do not have training/skilling as their corebusiness of their operations, instead they have skilling on their products, processes and services.

Many of the skill trainings/courses and training material/ resources of these MNCs, and Leading Indian Enterprises, including, OEMs, ODMs, and VARs are also available free of cost. Such companies issue certifications which have a global recognition, reputation and acceptability in the job market and industry, which would provide for multifold enhancement of employability of students and learners. Therefore, these Guidelines pave way for the training courses of the MNCs which are internationally recognized and standardized, to get associated with the formal skill ecosystem of India, thereby recognizing them for the creditisation.

These Guidelines will enable multiple pathways for learners to move from skilling to education and vice-versa as the NEP & NCrF enable recognition of all types of learning and utilization of earned credits for getting into multiple streams including higher education. The credits earned by a candidate shall be uniquely registered against the APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) id and stored in Academic Bank of Credits (ABC). This shall enable not just therecognition of learning and storage as credits but also options of multidisciplinary & lifelong learning through mobility, redemption, and utilization of such credits.

This shall also enable the creation of a pool of world class workforce which is skilled and certified on globally recognised skill trainings/courses by the globally reputed MNCs including, OEMs, ODMs, and VARs, and Leading Indian Enterprises. In a world of Gig economy and future of work,such pool of workforce with readily available future skill sets shall surely help in making India theSkill Capital of the World.

2.2. SCOPE

These guidelines shall generally apply to globally reputed Multinational Companies (MNCs) and the Leading Indian Enterprises, including, Original Equipment Manufacturer (OEM), Original Design Manufacturer (ODM) & Value Added Reseller (VAR) as defined in Section 3 of these guidelines.

3. DEFINITIONS

3.1. MULTI NATIONAL COMPANY

The terms Multinational company (MNC), multinational enterprise and transnational corporation are widely and often interchangeably used in International Business (IB). Multinational Corporations or Multinational Companies are enterprises that operate in one or more countries other than their native country. MNCs are globally reputed successful firms that have grown over many years into large corporations that are international in their vision, strategies, and operations including development, manufacturing, deployment, hiring, and marketing, etc. They usually havea large employee base of their own as well as a large user base with footprints across the globe.

Recent technological innovations, particularly the advent of the internet has further supported the growth of multinational companies. The emergence of 'International New Venture' (INV) firms is testament to this phenomenon. Therefore, in simple words a multinational company is a company which is headquartered in one country with business and operations in at least one foreign country.For the purpose of skilling/ training initiative, the definition would also cover the skilling/ training arm/ division of the MNCs, and Leading Indian Enterprises, including, OEMs, ODMs, and VARs.

3.1.1. ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM) INCLUDING ELECTRONIC MANUFACTURINGSERVICES (EMS)

An Original Equipment Manufacturer (OEM) makes systems or components that are used in another company's end product. Computer manufacturers, for example, commonly bundle or integrate OEM parts, such as processors and software, into the products/solutions they sell. In today's context, an OEM can also mean any original creator of technology - hardware or software, provided on-premises or off-premises (often as a service model), either bundled or asstand-alone, or a combination thereof. The Electronic Manufacturing Services (EMS) are alsotaken as part of the Original Equipment Manufacturer (OEM).

Examples: Apple, Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics, Foxconn, Intel, etc.

3.1.2. ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER (ODM)

The Original Design Manufacturers (ODMs) operate differently from OEMs. They ideate, design and manufacture, including development of products in-house which are subsequently purchased by diverse clientele. Businesses tend to leverage ODMs to translate an idea into a marketable product without much of R&D costs.

Examples: Flex Ltd, Quanta Computer Inc, Pegatron Corporation, Wistron Corporation, Celestica Inc, Sanmina Corporation, etc.

3.1.3. VALUE-ADDED RESELLER (VAR)

A value-added reseller (VAR) is an organization that is usually part of a sales channel for an original equipment manufacturer (OEM). OEMs make their goods and services available to VARs at a discount, and the VAR helps to facilitate product sales on behalf of the OEMs by adding pre sales value to the end user (such as facilitating proof of concepts and providing pre sales engineering and sales support). For these services, the VAR adds a mark-up to the final sale price of the product.

Examples: Velosio, Sirius Computer Solutions, ProServe Solutions, Aktion Associates, Tata Technologies, etc

3.1.4. EXAMPLES OF MAJOR GLOBALLY REPUTED MNCS

Companies like Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet (Google), Amazon, NVIDIA, Nestlé, Roche, etc.

3.2. OTHER LEADING INDIAN ENTERPRISES

There are other classifications of the leading Indian Enterprises of national importance based on their size, turnover, employment potential, export potential, operations, strategic importance, manufacturing, contract manufacturers (CMs), aftermarkets, operating in services and education, etc. Many of these leading Indian Enterprises are reputed MNCs as well. The major Enterprises in the Indian Economy include Iron & Steel, Textiles, Pharmaceuticals, Software and Services, Telecommunications, FMCG, Construction & Engineering, Chemicals and petrochemicals, Automobiles and Auto Components, Information Technology (IT), Jute, Sugar, Cement, Paper, Food and Beverages, Financial Services, Banking & Insurance, etc.

The indicative list of Leading India Enterprises may include Reliance Industries, Infosys, Bharti Airtel, Tata Steel Ltd, Mahendra Group, JSW Steel Ltd, etc

3.3. RECOGNIZED AWARDING BODY

An entity which enters into an agreement for the grant of recognition with NCVET as per the provisions contained therein, and which is permitted to award certification to the trainee/ student/ learners for an approved qualification or a skill by accrediting/ affiliating training bodies and for regulating their conduct, and by ensuring quality training, and gets the trainees assessed through a recognised Assessment Agency (AA).

3.4. RECOGNIZED ASSESSMENT AGENCY

An entity which enters into an agreement for the grant of recognition with NCVET as per the provisions contained therein, and which is permitted to test or conduct examinations/ assessments to assess whether a trainee/ student/ learner has attained the required competencies/learning outcomes with respect to an approved skill or qualification by a recognized awarding body.

4. NSQF ALIGNMENT & APPROVAL OF SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS

4.1. NATIONAL SKILLS QUALIFICATION FRAMEWORK (NSQF) ALIGNED AND APPROVED "QUALIFICATION".

A National Skills Qualification Framework (NSQF) aligned and approved "qualification" or "skill" means a qualification or skill in respect of which NCVET has approved a qualification package asper the provisions and processes contained in the National Skills Qualification Framework (NSQF).

4.2. CRITERIA FOR GETTING THEIR SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS RECOGNISED

4.2.1. FOR MNCS

The following criteria shall be applicable to qualify as a Multinational Companies (MNCs), including, Original Equipment Manufacturer (OEM), Original Design Manufacturer (ODM), and Value-Added Reseller (VAR) for getting their skilling and training courses/ qualificationsrecognised for the purpose of these guidelines:

(i). **Financial Criteria:** The MNCs with headquarter outside India must have operations in at least five (5) countries including India with a minimum **annual turnover of US$2 Billion (two billion dollar)** in each of the last three years.

(ii). **Prior Experience:** The company must have conducted skill training and assessments for at least **2,50,000 students/ learners/ employees globally** including their own employees in **the last three (3) years**, out of which **at least 10,000 should be in India**.

(iii). The NCVET may modify the above said criteria, in the public interest, for companies working in niche areas, emerging/ futuristic technology areas, new age/ future skills areas or strategic areas, on a case-to-case basis.

4.2.2. FOR THE LEADING INDIAN ENTERPRISES

(i). **Financial Criteria:** For an Indian company, registered under the Companies Act with Registrar of Companies in India, the **annual turnover should be atleast Rs. 8,000 crore** in each of the last three years.

(ii). **Prior Experience:** The company must have conducted skill training or training and assessments for at least **10,000 students/ learners/ employees including their own employees** in last three (3) years.

(iii). NCVET may modify the above said criteria, in the public interest, for companies working in niche areas, emerging/ futuristic technology areas, new age/ future skills areas or strategic areas, on a case-to-case basis. **The courses/ qualifications offered should be relevant to their own products, services or technologies in high demand.**

To enable creditisation (under (NCrF)) of skilling and training courses/ qualifications offered by the MNCs including, OEMs, ODMs, and VARs, or the Leading Indian Enterprises should be relevant to their own products, services or technologies, which are in high demand in the industry/ market, and have created substantial number of jobs globally, leading to substantial enhancement in the employability of the students/ learners/ employees.

4.2.3. LEGAL STATUS OF THE COMPANY AND OTHER CONDITIONS:

The entity should be registered as company and should have a valid legal existence with all required permissions to operate in India as per the applicable laws.

The MNCs including, OEMs, ODMs, and VARs, or the Leading Indian Enterprises, which satisfies the above mentioned criteria may not be a section 8 company registered under the Indian Companies Act 2013 in India unlike the other NCVET recognised Awarding Bodies.

4.2.4. ONLINE TEACHING-LEARNING PLATFORMS AND EDUTECH/ EDTECH COMPANIES ARE NOT ELIGIBLE TO BE CONSIDERED UNDER THESE GUIDELINES

Pure educational technology companies (abbreviated as EduTech, or EdTech companies) only offering online teaching-learning platforms/ courses, a webspace or portal, are not covered under these guidelines.

4.2.5. MODIFICATION OF THE CRITERIA

Any of the above listed criteria may be further modified by NCVET in the overall interest of the students, learners and workforce, subject to maintaining the quality of skilling and training through the courses/ qualifications and the commitment of the company towards VET & skilling objectives of India.

4.3. PROCESS OF NSQF ALIGNMENT & APPROVAL OF SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONSOF MNCS AND LEADING INDIAN ENTERPRISES

The MNCs including, OEMs, ODMs, and VARs, or a Leading Indian Enterprises fulfilling the above mentioned criteria for getting their skilling and training courses/ qualifications recognised, are eligible to align their qualifications with National Skills Qualification Framework (NSQF) byfollowing the NSQC approval process in any of the following manner:

4.3.1. SUBMIT THE SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS FOR NSQF ALIGNMENT AS AN AB AFTER GETTING THE NCVET RECOGNITION AS AN AWARDING BODY (STANDARD/ DUAL)

NCVET recognition as an AB also makes an entity eligible for getting its skilling and training courses/ qualifications NSQF aligned and approved on its own which shall enable creditisation of the learning of the trainee/ student/ learners and issuance of NCVET certificate to them. This process also enables a trainee/ student/ learners to accumulate credits to ABC as per NCrF along with a government approved certificate amongst other benefits.

However, for grant of NCVET certification and creditisation for the skilling and training courses/ qualifications, an AB must ensure that the assessment is done either by a NCVET recognised Assessment Agency in case of standard category AB or by the Awarding body (AB) itself, if it is a dual category AB as prescribed under the NCVET guidelines.

The MNC concerned will be required to submit its qualifications/courses to NCVET in the qualification templates/format as per the standard norms for NSQF alignment and approval bythe NSQC.

4.3.2. SUBMIT THE SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS FOR NSQF ALIGNMENT THROUGH AN ALREADY NCVET RECOGNISED AB IN THE SECTOR CONCERNED:

In this case, the MNCs, including, OEMs, ODMs, and VARs or the Leading Indian Enterprises,may submit their skilling and training courses/ qualifications to NCVET for NSQF alignment through an existing NCVET recognised Awarding Body (AB) in the sector and geography in which the company wants to implement such skilling and training courses/ qualifications. The MNC concerned will be required to submit its qualifications/courses to NCVET through the AB in the qualification templates/format as per the standard NSQF norms through the concerned recognised AB.

Once the skilling and training course/ qualification is approved by NSQC, the responsibility ofcoordinating the training and the assessment shall be that of the concerned recognised AB which shall ensure adherence to the NCVET guidelines during implementation of these skillingand training courses/ qualification.

4.3.3. SUBMIT THE SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS FOR NSQF ALIGNMENT AS AN MNC / LEADING INDIAN ENTERPRISE:

The MNCs, including, OEMs, ODMs, and VARs or the Leading Indian Enterprise also have the option of submitting its qualifications to NCVET in capacity of a reputed industry withouteither getting recognised as an AB or submitting through an already recognised AB. In this case, NCVET shall be the custodian of such qualifications and may authorise an already recognised AB in the sector with proven capacity, credibility and credentials to implement thesequalifications. NCVET shall also provide option of joint certification to learners by AB and MNC as per NCVET certification norms & guidelines. For this type of NSQF alignment & approval, an MNC may submit its qualifications/courses to NCVET in the qualificationtemplates/format as per standard NSQF norms. (https://ncvet.gov.in/qualification-related/)

Nomenclature of the qualifications so submitted may be subject to change, based on the prevailing norms of the job. However, the name of the qualification submitted by such reputedindustry will also continue to be reflected as submitted by any such body under this provision. Detailed provisions related to NSQF alignment of qualifications as reputed industry are attached as Annexure 1.

4.4. THE PROCESS OF GETTING THE NCVET RECOGNITION AS AN AWARDING BODY (STANDARD/DUAL)

The MNCs, including, OEMs, ODMs, and VARs or the Leading Indian Enterprise as defined in Section 3 of these guidelines, may also seek NCVET recognition as an Awarding body (AB) to align their Skilling and Training Courses/ Qualifications to NSQF, implement training, get the assessments done as per NCVET guidelines in the following ways:

4.4.1. AS STANDARD CATEGORY AB:

The MNC/Leading Indian Enterprise recognised under this category of Awarding body gets the skilling and training courses/ qualifications NSQF aligned and approved by NCVET, gets the training conducted either itself or through its accrediting/ affiliating training bodies, gets the trainee/ student/ learners assessed through a NCVET recognised Assessment Agency (AA), and certifies them with respect to an approved skill or qualification. However, a standard recognized awarding body does not conduct assessment of the trainee/ student/ learners by itself. In this case MNC shall onboard the NCVET recognised AAs in the approved sector & geography as per NCVET guidelines and may not develop & demonstrate separate assessment infrastructure and resources.

4.4.2. AS DUAL CATEGORY AB:

The MNC/ Leading Indian Enterprise recognised under this category of Awarding body performs all functions of a standard recognized awarding body and in addition, performs the role of an Assessment Agency (AA) with respect to the qualifications developed by it and approved by NSQC. Thus, a standard recognized awarding body also conducts the examinations/ assessments of the trainee/ student/ learners by itself. However, it shall develop and demonstrate adequate assessment capacity and infrastructure along with separation of assessment activities from training activities, including the resource allocation.

4.4.3. APPLICATION FORMAT FOR RECOGNITION AS AN AB (STANDARD OR DUAL)

For recognition as an AB (Standard or Dual), the MNC or the Leading Indian Enterprise may submit the proposal in the format attached as **Annexure 2**

The Guidelines provide for creditisation of the Skilling and Training Courses/ Qualifications conducted by MNCs and Leading Indian Enterprise by getting their qualifications NSQF aligned and approved by National Skills Qualification Committee (NSQC). The existing AB mechanism and alignment routes shall remain unaffected.

4.5. APPROVAL OF SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS:

The MNCs, including OEMs, ODMs, and VARs, or the Leading Indian Enterprise fulfilling the criteria listed above may submit their skilling and training courses/ qualifications in the NSQF qualification template/ format especially prescribed for MNCs. (The template is available at https://ncvet.gov.in/qualification-related/)

As per the format the following NSQF norms/ parameters may not apply to such skilling and training courses/ qualifications due to their global reputation and market demand:

(i). **Evidence of Need** as these skilling and training courses/ qualifications are already globally recognised and accepted.

(ii). **Industry validation** as the skilling and training courses/ qualifications are being brought by the industry leaders themselves.

(iii). **Line Ministry concurrence** as these are purely the MNCs and Leading Indian Enterprises related skilling and training courses/ qualifications with excellent job potentials.

The Skilling and Training Courses/ Qualifications of the MNCs, including OEMs, ODMs, and VARs, or the Leading Indian Enterprise along with the model curriculum as approved by NCVET shall be uploaded on the National Qualification Register (NQR) as per standard NSQF norms. The skilling and training courses/ qualifications with basic content so uploaded shall be made accessible to the students/ learners free of cost. An MNC or the Leading Indian Enterprises may also make the detailed learning material/ content related to the approved skilling and training courses/ qualifications available free of cost. However, an assessment fee could be prescribed for the purpose of certifications in respect of some of the skilling and training courses/ qualifications.

4.6. THE NATURE OF SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS OF MNCS OR THE LEADING INDIAN ENTERPRISE

The MNCs and Leading Indian Enterprise' NSQF aligned & approved qualifications will be offered as optional programs in the school education, higher education or skill education programs like degree, diploma or certificate etc. Such MNC or the Leading Indian Enterprise specific courses/ qualifications will not be insisted upon or made mandatory/ compulsory courses/ qualifications for any degree, diploma or certificate by the concerned regulators/ HEI.

However, any student/ learner may take these courses/qualifications in addition to the prescribed higher education programs and the credits so earned by a learner may be considered by the AB for award of their degree, diploma or certificate.

4.7. CREDITISATION AND CERTIFICATION OF SKILLING AND TRAINING COURSES/ QUALIFICATIONS

4.7.1. CREDITISATION AND CERTIFICATION

The creditisation of the learning shall be awarded and mentioned in the certificate as per the provisions of National Credit Framework (NCrF) in the NCVET approved certificate format for skilling and training course/ qualification of MNCs, the Leading Indian Enterprise. The students/ learners/ workforce personnel should be able to store their credits in the Academic Bank of Credits (ABC) to be operated through their APAAR registration.

4.7.2. CERTIFICATE FORMATS

The certification of the student/ learner/ workforce personnel for such skilling and training course/ qualification shall be as per NCVET approved certificate formats as applicable to MNC/ Leading Indian Enterprises. The certificate shall also provide for joint certification on behalf of NCVET by the concerned Awarding body (AB) or Higher Education Institution (HEI), andMNC/ Leading Indian Enterprises. MNC may also issue an additional certificate of its own to the candidate. Under special circumstances, so as to maintain the reputation and credibility of the MNC/ Leading Indian Enterprises certification in line with the global practices, the certificate format may be allowed to be suitably modified by NCVET.

4.7.3. SKILL INDIA BRANDING

All skilling and training conducted on the NSQF aligned and approved courses/ qualification of MNCs/ Leading Indian Enterprises will also carry Skill India logo and branding.

4.8. DATA SHARING:

Since the certification based on skilling and training course/ qualification shall be creditised as per the provisions of NCrF, it is desirable that the verifiable student/ learner/ workman's data is shared, with the consent of the students/ learners/ workforce personnel concerned.

Such data shall be shared with the NCVET or with any agency authorised by it, including the stakeholders of skilling ecosystem concerned.

However, such data sharing shall be subject to the provisions of the "The Digital Personal Data Protection Act, 2023".

The training and assessment data of the students/ learners/ workforce personnel will be required to be shared by the MNC, including OEM, ODM, and VAR or the Leading Indian Enterprise in the specified format/ through APIs for creditisation of the learning and to enable assignment, storage, transfer and redemption of credits as per the provisions of NCrF with the following recognised bodies of NCVET / Government agencies:

i. The Awarding body (AB) concerned for managing the skilling/ training and issuing the certificate. The Awarding Body recognized as per the provisions of these guidelines shall share the training batch and other requisite details with the concerned Assessment Agencies for smooth implementation of training, assessment, certification of learners and transfer ofcredits to ABC.

ii. The Assessment Agency (AA) for assessing the students/ learners/ workforce personnel. An Assessment Agency recognized as per the provisions of these guidelines shall also share the assessment data with the concerned Awarding Body.

iii. The Skill India Digital (SID).

iv. DigiLocker and Academic Bank of Credits (ABC) Platforms.

In case the students/ learners/ workforce personnel does not give her consent for sharing of data with the necessary stakeholders, no credits would be given to him/ her for such skilling and training courses/ qualifications of the MNC/Leading Industry.

The data sharing shall be undertaken in adherence to "The Digital Personal Data Protection Act, 2023", which provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data forlawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto.

Clause 4, 6 &11 of the "The Digital Personal Data Protection Act, 2023" with specific provisions related to legitimate use of data, consent, rights and duties of data provider must strictly apply to all data sharing activities undertaken by the MNCs, including, OEMs, ODMs, and VARs or the Leading Indian Enterprises for all purposes as mentioned under these guidelines including obtainingconsent from the concerned learner(s) and/or organization to this effect.

4.9. OTHER APPLICABLE NCVET GUIDELINES:

The provisions contained in the "Guidelines for Recognition & Regulation of Awarding Bodies and Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies"(https://ncvet.gov.in/guidelines/) however, would stand modified to extent mentioned in these "Guidelines for Creditisation of Training and Qualifications of Multinational Companies (MNCs) and Leading Indian Enterprise".

The following other NCVET Guidelines shall also be applicable to MNCs, including OEMs, ODMs, and VARs, or the Leading Indian Enterprise recognised by NCVET to ensure their seamless integration with National Education Policy (NEP), National Credit Framework (NCrF) and skilling ecosystem:

i. Guidelines for Multi-Skilling & Cross-Sectoral Skilling

ii. Guidelines for Blended Learning for Vocational Education, Training & Skilling

iii. Guidelines for Development, Approval & Usage of National Occupational Standards (NOS) & Micro Credentials (MC)

However, the application of any regulation shall only be with respect to the vocational education, training & skilling operations including skilling and training courses/ qualifications implemented by such companies.

5. ADVANTAGES AND BENEFITS FOR THE STAKEHOLDERS

Students/ Learners	Employers	MNCs including OEMs	Government
Industry led, industry vetted and industry implemented qualifications Accumulation of credits as per the NCrF by learner Storage of accumulated certificates and credits electronically in DigiLocker and Academic Bank of Credits (ABC) Enhanced mobility between vocational and academic streams through redemption of credits Enhanced employability and market recognition both nationally and internationally Government recognized certification mapped with NSQF level and NCO code Reduced cost for training and certification Qualification/s so earned by a learner formally become a part of his/her account/wallet/any other such arrangement as provided under National Skills Repository/ Digi Locker/ ABC Increased value/return on skills, contributing to economic progress.	Access to industry ready and skilled workforce in the required domains Effective and efficient recruitment with reduced cost of hiring and training Reduced cost of operations Enhanced productivity Reduced attrition and retrenchment rate. Verification of certificates and credits through DigiLocker and ABC	Recognition by GoI Enhanced Credibility and Acceptability Enhanced quality outcomes through standardized procedures and parameters Uniform certificate with NCVET logo Alignment of Qualifications with the National Credit Framework (NCrF), National Skills Qualification Framework (NSQF) and National Classification of Occupations (NCO) Eligible for government funding Mapping of qualifications with International and regional frameworks Larger volume of formal certifications because of the accrued benefits Creation/availability of a large talent pool skilled on MNC/OEMs technology for global needs	Reduction of unemployment in the country Increase in industrial productivity leading to overall economic development of the country Creation of a pool of skilled workforce Recognition of high quality national and international certifications Alignment of various models of training and certification with National Policy Initiatives like NEP 2020 and NCrF. Strengthened database of skilled employees.

ANNEXURE 1

Provisions for Approval of Qualifications submitted by MNCs/Leading Indian Enterprises other than a Recognised Awarding Body

1. MNCs/Leading Indian Enterprises (other than the recognized Awarding Bodies) who have developed market relevant qualifications and have been implementing the same and/or have expressed their interest to develop and implement the skill qualifications with demonstrable capabilities have been approaching NCVET for NSQF alignment and approval of such qualifications without having a requirement to be recognised as an Awarding Body.

2. Apropos, such quality assured and market relevant qualifications of MNCs/Leading Indian Enterprises (other than the recognized Awarding Bodies) may be considered for NSQF alignment and be presented before NSQC for approval, subject to fulfillment of the standard NSQF norms and the following additional conditions:

    a) The qualifications should be submitted by an MNC/Leading Indian Enterprises which could either be a Government or a private sector organization;

    b) The qualification should be well-designed & developed, with high quality curriculum & content customised to the industry requirements;

    c) The qualification should be relating to the skills which are in high demand in the market, the future skills required by the industry having bright employment prospects or entrepreneurship/ self-employment opportunities;

    d) NCVET shall be the custodian of such qualifications and may authorise an already recognised AB in the sector with proven capacity, credibility and credentials to implement such qualifications;

    e) Qualifications approved in this category would become part of the National Qualification Register (NQR) housed at NCVET and shall be available to all recognised Awarding Bodies for adoption as per Adoption Guidelines;

    f) The validity of such qualifications shall be as per standard NSQF norms and the revision of the qualifications shall be undertaken by the Leading Indian Enterprises concerned or any other entity authorized by NCVET to do so;

    g) NCVET shall provide option of joint certification of learners by AB and MNC as per NCVET certification norms & guidelines;

3. The above-mentioned provisions for approval of qualifications submitted by Leading Indian Enterprises other than a Recognised Awarding Body shall only be applicable to the entities fulfilling the criteria as defined in section 4.2 of the "Guidelines for Creditisation of Training and Qualifications of Multinational Companies (MNCs) and Leading Indian Enterprises". Accordingly, all such entities shall provide the requisite information in Annexure 2 (Information for Part A, B & C and serial no. 21 & 22 of Part D to be provided only).

ANNEXURE 2

APPLICATION FORM

Recognition for Creditisation of Skilling & Training Courses & Qualifications Of Multinational Companies (Mncs) And Leading Indian Enterprises

S. No.	Criteria	Please specify and/ or submit the relevant documents
1.	Category: a. Standard Awarding Body (AB) Recognition or b. Dual Awarding Body (AB) Recognition or c. MNCs/Leading Indian Enterprises (other than recognised ABs)	
Part A.	**Basic Information**	
2.	Name of the Company	

<table>
<tr><td>3.</td><td>Name of the Parent Company (If applicable)</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Date and place of Establishment of Company</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Date and place of Establishment of Parent Company (If applicable)</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Complete Address and contact information</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Website URL of the company</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Name & designation of Head and SPOC (CEO/ Education and SkillingHead)</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Mobile Phone/ Phone Number & email id of SPOC</td><td></td></tr>
<tr><td>Part B.</td><td>Legal Status of the Company</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>For Indian Company:
Certificate of Registration as per Registrar of Companies</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>For Foreign Company: Any of the following (As applicable)
a. For Subsidiaries in India - Certificate of Registration as per Registrarof Companies
b. For Joint Ventures – Memorandum of Understanding / Agreement</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Number of employees in the company
a. Globally
b. In India
(In case furnishing the exact requisite figure is not possible due to valid reasons like any legal conditions, the same may be provided in an approximation for example, Greater than 30000 employees.)</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Approximate/ indicative size of the user community of products and services of the company
a. Globally
b. In India

(In case the furnishing the same quantitatively is not possible, the response to this question may be provided in a Qualitative way, explaining the business form and the kind of customer base.)</td><td></td></tr>
<tr><td>Part C.</td><td>Scale of Operations</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">Revenue of the organization (Last 03 years)</td><td></td></tr>
<tr><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td><td>TOTAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Years of operations
a. Globally
b. In India</td><td></td></tr>
<tr><td>Part D.</td><td>Training Experience: Skilling & Training Courses & Qualifications</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Number of courses/ skill trainings/ qualifications developed and being offered in (Please attach the list of top 50 to 100 Skilling & Training Courses & Qualifications)
a. Online
b. Offline
c. Blended mode</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>17.</td><td>Please indicate the number of (in India)
a. Company's own training centers
b. Authorised Training Partners of the Company
c. Affiliated Training Centers run by training partners</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Please indicate the approximate classification of the number of Skilling& Training Courses & Qualifications as
a. Generic Soft skills/ life
b. Employability skills
c. Generic Technical skills
d. Specialised Technical skills
e. Specialised Executive Managerial skills
f. Others- please specify
(Regarding type of courses, if the segregation as suggested is notpossible, same may be provided as per the internal segregation of the Organisation.)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>How many of these courses/ skill trainings/ qualifications clearly state/ cover the following aspects required for alignment with National CreditFramework (NCrF) and National Skills Qualification Framework (NSQF): (Please attached the list)
a. learning outcomes,
b. competency levels achieved.
c. the assessment method to be used
d. progression pathways</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Total years of operations in skilling and training</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td><table><tr><td>Globally</td><td colspan="3">Approximate No. of students/ learners/ workforce personal offered Skilling & Training Courses & Qualifications *</td></tr><tr><td></td><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>*(In case furnishing the exact requisite figure is not possible, the same may be provided in an approximation for example, greater than 50000 learners.)</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td><table><tr><td>In India</td><td colspan="3">Approximate No. of students/ learners/ workforce personal offered Skilling & Training Courses & Qualifications*</td></tr><tr><td></td><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>*(In case furnishing the exact requisite figure is not possible, the same may be provided in an approximation for example, greater than 50000 learners.)</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>Number of trainers available in
a. India
b. Globally</td><td></td></tr>
<tr><td>Part E.</td><td>Experience of conducting Assessments (Applicable only to Dual Category AB applicant)</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td><table><tr><td>Country Name</td><td colspan="3">No. of assessments conducted for their own Skilling & Training Courses & Qualifications conducted</td></tr><tr><td></td><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

25.	Process of Assessment planning and delivery for testing the learning outcomes e.g. a. Formative assessments, b. Summative assessment c. Norm referenced assessments d. Criterion referenced assessments e. Industry Validation assessment f. AI based assessment g. Diagnostic assessments h. Peer to Peer randomised Assessment i. Ipsative or self- referenced assessments j. Self-assessment after self-learning	
26.	Number of assessors available a. nationally b. internationally	
27.	How do you conduct the assessments? a. In-person/ physical b. Online Proctored c. Online AI Proctored d. Mixed mode e. Video Capturing f. Any others: Please specify	
28.	Are proper Question Banks & Questions for testing the learningoutcomes, And competency levels achieved are in place (Courses/Qualificationswise)	
29.	Assessment tools being used or proposed to used (Please list)	
30.	Feedback Mechanism on **Skilling & Training Courses &Qualifications** and its analysis (both training and assessments)	
Part F.	**Use of Technology and Platforms**	
31.	Main features of the **Courses & Qualifications Skilling & Training platform**	
32.	Training portal URL	
33.	Main features of the **Courses & Qualifications** Assessment Engine	
34.	Assessment portal URL, if any	
35.	Compatibility & capability w.r.t. adoption & alignment of Training/ Assessment engine with blended learning tools (Please refer to https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-for-Blended-Learning-for-Vocational-Education-Training-Skilling.pdf)	

Note:

Multinational corporations (MNCs) operate in different countries through a variety of strategies and structures, adapting to the unique challenges and opportunities presented by each country.

i. MNCs may establish subsidiaries or branches in foreign countries, making direct investments in local operations.

ii. MNCs may form partnerships with local companies through joint ventures or strategic alliances. This is common in industries where local expertise is essential.

iii. The structure and the way any MNC operates is also necessitated because MNCs must navigate diverse legal, regulatory, and tax environments. This requires understanding and compliance with local laws related to labor, environment, intellectual property, and taxation.

Therefore, such Multinational Companies (MNCs), including, Original Equipment Manufacturer (OEM), Original Design Manufacturer (ODM), and Value-Added Reseller (VAR) while providing as mentioned in Sections of Part D and Part E of the Application Form may also provide the details of skilling and training courses and training experience of their Subsidiaries, Parent Company & local jointventures. However, such details must be clearly mentioned with corresponding company name & its relationship with the applicant company. NCVET may consider the same based on the merit of the case.

COL. SANTOSH KUMAR Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./192/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.21 19:06:50 +05'30'